न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 47/2018

प्रार्थी

1. शांतिदेवी पत्नी भंवरसिंह पुत्री भागीरथसिह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम पुरोहितों का बास, पोस्ट मुआना, तहसील नावा जिला नागौर हाल पाली ।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जालमसिह
2. उगमसिंह
3. चन्द्रसिंह
4. शैतानसिंह पिसरान भागीरथसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा
6. सरकार जरिये सब रजिस्ट्रार बिलाडा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री नारायणसिंह सोडा अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1,2व 4 की ओर से श्री गिरधारी लाल कंसारा अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 5 व 6– सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: **दिनांक** 27/08/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 से 4 स्व. भागीरथसिंहजी के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है। अप्रार्थी सं. 1 से 4 प्रार्थीया के सगे भाई है। स्व. भागीरथसिंहजी के नाम की एवं कब्जाकाश्त की कृंषि भूमि ग्राम बरना में आई हुई थी, जो वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 से 4 के नाम से ही दर्ज है। जिसमें त्रुटिवश प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं आया है। जबकि प्रार्थीया भागीरथसिंहजी की जायन्दा पुत्री है एवं उसका भी हक हिस्सा पैतृक कृषि भूमि में निहित है ग्राम बरना के खाता सं. 183 में निम्नलिखित कृषि भूमि खसरा न 602 रकबा 88 बीघा 02 बिस्वा आई हुई है। इसी प्रकार खाता सं. 182 में कृषि भूमि खसरा न 323रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा न 324 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा, खसरा न 325 रकबा 07 बीघा 19 बिस्वा, खसरा न 326 रकबा 03 बीघा 11 बिस्वा, खसरा न 328 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा, खसरा न 330 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा न 332 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा, खसरा न 333 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा न 587 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा न 910 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न 975/1 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा, खसरा न 976 रकबा 12 बीघा 04 बिस्वा कुल खसरा 12 रकबा 106 बीघा 16 बिस्वा आई हुई है। पद सं. 4 में प्रार्थीया की वंशावली दी गई है। वंशावली वृक्ष अनुसार स्वर्गीय भागीरथसिंहजी से प्राप्त संयुक्त कृषि भूमि में प्रार्थीया का 1/5 वां हिस्सा जन्म से ही निहित है एवं राजस्व रेकर्ड में त्रुटि से प्रार्थीया का नाम आने से रह गया है। जिस कारण प्रार्थीया अपने 1/5 हक हिस्से के खातेदारों अधिकारों की घोषिण करवाने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया को अपनी निजी आवश्यकता हेतु कृषि ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी जिस पर हल्का पटवारी से राजस्व रेकर्ड को देखा व नकल देने हेतु कार्यवाही की तो प्रार्थीया को पता चला कि उक्त कृषि भूमि जिनका उल्लेख पैरा सं. 2 में किया गया है में प्रार्थीया का नाम खातेदार के रूप में नहीं है। जिस पर प्रार्थीया को दिनांक 10–07–2018 को जानकारी हुई जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 1 से 4 को प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि को प्रार्थीया के नाम करवाने हेतु कहा परन्तु अप्राथीगण ने उक्त प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि को प्रार्थीया के नाम करवाने से मना कर दिया, जिस कारण प्रार्थीया को अपने हक हिस्से की घोषणा एवं घोषणा के पश्चात् बंटवाड़ा करवाकर अपनी कृषि भूमि को तरमीम करवाने की आवश्यकता हुई है एवं प्रार्थीया इस हेतु वाद श्रीमान् के समक्ष पेश कर रही है। प्रथम दृष्टया ही प्रार्थीया स्वर्गीय भागीरथसिंहजी की प्रथम श्रेणी की उतराधिकारिणी है एवं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीया का हक हिस्सा अपनी पैतृक कृषि भूमि में जन्म से ही निहित है एवं प्रार्थीया उक्त हक हिस्सा घोषित करवाने पर ही अपने व अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगी, अन्यथा घोषणा के अभाव में अप्रार्थीगण प्रार्थीया को अपने हक हिस्से में कृषि कार्य नहीं करने देगे जिसे प्रार्थीया व उसके परिवार को अपूर्णियक्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकेगा। जबकि प्रार्थीया को अपनी उक्त पैतृक सम्पति प्राप्त करने का संवैधानिक अधिकार है। प्रार्थीया ने न्यायालय में मूलवाद पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थीया को सफलता मिलने की पूरी आशा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीया के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया को अपने 1/5 हक हिस्से में काश्त कार्य करने मे रोकटोक नहीं करे व न ही अन्य से करावे और न ही वादग्रस्त भूमि का बैचान, रहन या अन्यथा अन्तरण ही करें। अप्रार्थी सं. 5 व 6 अप्रार्थी सं. 1 से 4 द्वारा ऐसा बैचान रहन या अन्यथा अन्तरण पेश करने की अवस्था में तस्दीक नहीं करें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर दिनांक 18.12.10 को अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 की ओर श्री गिरधारी लाल कंसारा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 की ओर से जवाब पेश किए जिसकें संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 01 सही है। प्रार्थना पत्र के पद सं.

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

02 का जवाब इस कदर है कि अप्रार्थीगण सं० 1 से 4 के पिता स्व. भागीरथसिंहजी के नाम की एवं कब्जाकाश्त की कृषि भूमि ग्राम बरना में आई हुई है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के पिता श्री भागीरथसिंहजी के स्वर्गवास हो जाने से वादग्रस्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 बतौर खातेदार के कृषि भूमि पर कब्जा काश्त के काबिज चले आ रहे है तथा वादग्रस्त क्षि भूमि का अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर राजस्व रकेर्ड में अपना अपना अलग अलग बंट व हिस्सा दर्ज करवा दिया है। प्रार्थीया या अपने ससुंराल में ही रहती है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया का कभी कब्जा व अधिकार नहीं रहा है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया त्रुटिवश प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं आया है। प्रार्थीया ने वादग्रस्त कृषि भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के नाम नामान्तरणकरण दर्ज़ होने के बाद आज तक नामान्तरणकरण की अपील (चौलेन्ज) नहीं किया गया है। कानून प्रार्थीया को वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम दर्ज कराने हेतु निमयानुसार राजस्व रेकर्ड नामान्तरणकरण की अपील सक्षम न्यायालय में की जानी आवश्यक है उसके बिना प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार से प्रार्थना पेश करने एवं बंटवाड़ा डिक्री प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। इसी प्रकार प्रार्थीया बिना कानूनी हक अधिकारो के एवं बिना खातेदारी अधिकार एवं बिना कब्जे के प्रार्थीया का प्रार्थना कानूनन विधि विरूद्ध होने प्रार्थना काबिल खारिज के है। पद सं. 3 व 4 सही है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 05 का जवाब इस कदर है कि प्रार्थीया की शादी हो जाने से प्रार्थीया अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ रहती है तथा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार के काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीया बिना कब्जे एवं बिना खातेदारी अधिकारों के किसी प्रकार के अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 06 का जवाब इस कदर है कि प्रार्थीया ने अपने उपर बताए नाम और पत्ते अनुसार प्रार्थीया पुरोहितो का बास पोस्ट मुआना तहसील नावा जिला नागौर रहना बताया है इसलिए प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जासुदा कृषि भूमि ग्राम बरना पर कृषि ऋण लेने का कथन अपने आप में झूठ व मिथ्या है क्योकि प्रार्थीया को वादग्रस्त प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि पर ऋण लेने का कोई कानूनी हक अधिकार नहीं है। शेष कथन झूठ व मिथ्या होने से अस्वीकार है। पद सं. 07 सही होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 08 का जवाब इस कदर है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण बतौर खातेदार के काबिज है तथा अप्रार्थीगण ही वादग्रस्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है, इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीया अपने ससुराल मुआना तहसील नावा जिला नागौर में अपने पति परिवार के साथ निवास कर रही है। तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई कब्जा व अधिकार नहीं होने से प्रार्थीया को व उसके परिवार को कोई अपूर्णनीय क्षति होने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी मिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
मिलाड़ा

कानूनन पुत्री के विवाह के पश्चात् किसी पुत्री को पिता की पैतृक संपति पर किसी प्रकार का संवैधानिक अधिकार प्राप्त नही होता है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना काबिल खारिज के है। प्रार्थना पत्र के पद सं. 09 का जवाब इस कदर है कि प्रार्थीया ने मूलवाद बिना किसी खातेदारी अधिकारों व बिना कानूनी प्रावधानों के अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है जिसमें प्रार्थीया को किसी प्रकार के सफलता मिलने की सम्भावना नही है। प्रार्थीया ने प्रार्थीगण को नाहक तंग परेशान करने के लिए यह मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेशकर अप्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीया बिना किसी कानूनी अधिकारो व बिना खातेदारी अधिकारों व बिना कब्जे के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं होने से मय खर्चा हर्जा खारिज फरमावे। अप्रार्थी सं. 5 व 6 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है **प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति** :— प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि ग्राम बरना के खसरा नंबर 602, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 332, 333, 587, 910, 975/1, 976 उक्त सभी पैतृक भूमि है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वंशावली के अनुसार प्रार्थी के पिता के चार पुत्र व एक पुत्री है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु के उपरान्त केवल चारों पुत्रों का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। जबकि हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम 2005 अनुसार पिता की सम्पति में पुत्री का भी पुत्रों के बराबर हक व हिस्सा बनता है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनता है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से विरासत के आधार पर प्रार्थीया का अप्रार्थीगण के साथ बराबर का हक अधिकार होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। न्यायिक दृष्टान्त 2021(2)डी.एन.जे.(रेवेन्यू) 997 मिश्रोदेवी बनाम सुभाष में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि वाद के निस्तारण तक सम्पति को संरक्षित रखना न्यायालय का कर्तव्य है। अधिनियम की धारा 212 का प्रयोजन भूमि को किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण से बचाना भी है हमारा मानना है कि जब परिवार के सदस्यों के बीच घोषणा, बंटवाडा का वाद लम्बित हो तथा भूमि की हस्तान्तरण किये जाने का डर हो तो भूमि को हस्तान्तरण नहीं करने बाबत खातेदार के विरूद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अगर पैतृक भूमि में से किसी प्रकार से बैचान, हस्तान्तरण, निर्माण कर लिया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीया को हो जायेगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 1 व 4 के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि कें रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 व 4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 602, 323, 324, 325, 326, 328, 330, 332, 333, 587, 910, 975/1, 976 के राजस्व रेकर्ड की मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 28/08/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा